राजस्थान सरकार

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी सुर्दशनसिह तोमर आर.ए.एस

मु0नं0 11/2017 आर.सी.एम.एस.नं. 2017/000118 तारीख रजू:– 21.12.2017

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला करौली :– सायल

बनाम

बलवीर **पुत्र गोकुल जाति जाटव** उम्र 45 साल **निवासी** महू दलालपुर थाना सदर हिण्डौन **जिला करौली :–गैरसायल**

इस्तगासा इन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

निर्णय दिनांक 20.01.2020

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल बलवीर पुत्र गोकुल जाति जाटव निवासी महू दलालपुर थाना सदर हिण्डौन जिला करौली के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना हिण्डौन जिला करौली मे निम्न केस दर्ज हुये है।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा पु0 चार्ज0नं0	न्यायालय निर्णय व
01	310/11 दि0 27.07.2011	13 आरपीजीओ एक्ट	169 दिनांक 23.07.2011	जुर्माना 100रूपये
02	478/11 दि0 25.11.2011	13 आरपीजीओ एक्ट	276 दिनांक 29.11.2011	जुर्माना 100रूपये
03	242/14 दि0 10.06.2014	13 आरपीजीओ एक्ट	152 दिनांक 27.06.2014	जुर्माना 100रूपये
04	02/16 दि0 01.01.2016	13 आरपीजीओ एक्ट	05 दिनांक 21.01.2016	जुर्माना 100रूपये
05	532/16 दि0 05.11.2016	13 आरपीजीओ एक्ट	320 दिनांक 16.11.2016	जुर्माना 100रूपये

उक्त पंजीवृत आपराधीक प्रकरण मे वाद जॉच चार्ज शीट किता कर संबन्धित न्यायालय मे चालान पेश किया गया जिसमे सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुये जुर्मान के ठण्ड से दण्डित किया गया। गैरसायल जुआ,सटटा का आदतन अपराधी है। जिसमे आम जनता मे कुप्रभाव पडता है। इतने प्रकरण दर्ज होने के बाबजूद भी इसकी कार्य सैली पर कोई असर नही हो रहा है। बल्कि हॉसला बुलन्द होता जा रहा है। कानून का भय कतई नही रखता है। निरन्तर अपराध करता जा रहा है। ऐसे अपराधी को खुले रूप से घुमना आम जनता के जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। ऐसे अपराधी का खुले रूप मे सामाजिक सुरक्षा एवं कानून के राज के लिऐ कतई हित मे नही है। इस तरह के अपराधी के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया जाना आम जनता के हित मे है।

अन्त मे स्थगासा पेश कर गैरसायल अपराधी बलवीर पुत्र गोकुल जाति जाटव निवासी महू दलालपुर थाना सदर हिण्डौन जिला करौली के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

स्थगासा को साबित करने के लिऐ एफआईआर की प्रति नतीजा चार्ज शीट की प्रति नतीजा न्यायालय की प्रति एवं गवाह के नाम पेश की है।

स्थगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम –04 के उल्लेखन अनुसार राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिभाषक उपस्थित आया। गैरसायल ने जवाव एवं एक प्रार्थनापत्र सहमति का पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और उसके छोटे–छोटे बच्चे है। प्रार्थी को दोष मुक्त कर माफ फरमाया जाबे यदि प्रार्थी को दोषी माना जावे तो अन्य जिले मे नही भेजकर अन्य थाने मे उपस्थिती देने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

सायल की ओर से इस्तगासा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालय निर्णय की प्रति ,नतिजा चार्ज शीट की प्रति,पेश की गई है। जिसमे गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल ने अपने बचाव पक्ष मे किसी प्रकार की कोई साक्ष्य आदि पेश नही की गई है।

गैरसायलान को असलान एवं वकालानतन सुना गया। सायल ने अपने इस्तगासा मे गैरसायल के खिलाफ पॉच मुकदमे दर्ज करते हुये सक्षम न्यायालय मे चार्ज शीट पेश की गई थी जिसमे सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय मे गैरसायल को आर्थिकदण्ड से दण्डित किया गया है। सायल के इस्तगासा मे कथा अनुसार गैरसायल जुआ सटटा का आदतन अपराधी जिससे आम जनता को कुप्रभाव पडता है। गैरसायल सक्षम न्यायालय के दण्डित के बाद भी अपनी कार्य शैली पर कोई असर नही हो रहा है जिससे आम जनता मे ऐसे अपराधी का खुले रूप मे घुमना जान माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। जिसमे गैरसायल द्वारा अपने जबाव मे गरीब व्यक्ति होना स्वीकार करते हुये दोष मुक्त किये जाने का भी निवेदन किया गया है। किन्तु जब सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तो गैरसायल के विरूद्व यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंन्त्रण अधिनियम 1975 के नियमो के तहत अपराधिक कृत कारित करने मे सलिप्त है। गैरसायल का कृत्य अनैतिक है। जो समाज के लिऐ अभिशाप है। ऐसे मे उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः सायल /प्रार्थी का इस्तगासा स्वीकार किया जाकर बलवीर पुत्र गोकुल जाति जाटव निवासी महू दलालपुर थाना सदर हिण्डौन जिला करौली को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाता है। तथा गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिऐ थाना सदर हिण्डौन जिला करौली के परिक्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। थाना अधिकारी सदर हिण्डौन को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 10.02.2020 से 24.02.2020 तक की समयावधि के लिये थाना सूरोठ पर रहने हेतु सूपूर्द करें। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थाना अधिकारी सूरौठ को देगा इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियो के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा किसी अपराधिक गतिविधि में भाग नही लेगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व थाना सदर हिण्डौन के किसी भी भाग मे प्रवेश नही करेगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधिक्षक करोली एवं थाना अधिकारी सदर हिण्डौन एवं थाना सूरौठ को भेजे तथा एंक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुर्दशनसिह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2020.05.21 11:27:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: